



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042020-219050
CG-DL-E-15042020-219050

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2020/चैत्र 26, 1942
No. 193]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2020/CHAITRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2020

सा. का.नि. 251(अ).—केंद्र सरकार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11 का और धारा 12 कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

1. (1) ये नियम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 2002 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 8 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः:

"(5) उपनियम (1) और (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, रिपोर्ट करने वाला अधिकारी इसमें विनिर्दिष्ट सूचना 30 जून, 2020 तक प्रस्तुत करेगा।"

[फा. सं. पी-12011/18/2019-ईएस सेल-डीओआर]

ऋत्तिक पांडे, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 444 (अ), दिनांकित 1 जुलाई, 2005 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 228 (अ), दिनांकित 31 मार्च, 2020 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2020

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1.(1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) 2nd Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, after sub -rule (4), the following sub-rule shall be inserted namely: -

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (3) the Reporting Officer shall furnish the information specified therein by the 30th June, 2020”

[F. No. P-12011/18/2019-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended vide number G.S.R. 228(E), dated the 31st March, 2020.